पत्रांक सं0–15/डी0एल0ए0–पटना (चिरैयाटांड पहुँच पथ)–23/12 –3048/रा0, पटना, दिनांक– 26/12/2012

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)
अधिघोषणा

पटना, दिनांक 2012

सं0 .... चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि मौजा– मोहर्रमपुर, थाना नं0– 137 म्यु0 वार्ड नं0– 03 सीट नं0– 17 एवं 34, पटना सिटी म्यूनिसपलीटी जिला पटना में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात रेलवे उपरी पुल चिरैयाटाँड पटना के पहुँच पथ (करविगहिया छोर) निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम–मोहर्रमपुर, म्यु0 वार्ड नं0– 03, सीट नं0– 17 एवं 34, के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम–वेश 0.228 एकड़ के बराबर होता है जिसका सर्वे म्यु0 खेसरा संख्या– 411, 417, 424, 515, 516, एवं 517 सभी अंश भाग है, जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:–

सीट सं0– 17	सीट सं0– 34
उत्तरः– म्यु0 खेसरा सं0– 411, 417 अंश	म्यु0 खेसरा सं0– 515, 516, 514 अंश
पूरबः– म्यु0 सीट नं0– 34 का सिवाना	म्यु0 खेसरा सं0– 519
दक्षिणः– म्यु0 खेसरा सं0– 411, 424 अंश	म्यु0 खेसरा सं0– 516, 517, 518, एवं 514 अंश
पश्चिमः– म्यु0 खेसरा सं0– 410 अंश	म्यु0 सीट नं0– 17 का सिवाना

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग, जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो ले, लिए जायेंगे। यह घोषणा अधिनियम 1, 1894 की धारा 6 और अधिनियम 18, 1885 की धारा 3 के खंड (1) यथा संशोधित अधिनियम के धारा 4 सन् 1961 एवं सन् 1984 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध हो। भूमि का मानचित्र जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

ह0/–
समाहर्त्ता,
पटना।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
सरकार के अवर सचिव

पी0टी0ओ0

ज्ञा० सं०–15 / डी०एल०ए०–पटना (चिरैयाटाँड पहुँच पथ)–23 / 12 –3048 / रा०, पटना, दिनांक 26 / 12 / 2012

प्रतिलिपि :–

1. तीन अतिरिक्त प्रतियों सी०डी० के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना के दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं प्रकाशित संस्करण का जिला भूमि अर्जन कार्यालय, पटना एवं इस विभाग को प्रेषित हेतु।
2. उप समाहर्त्ता प्रभारी, सामान्य शाखा, पटना को जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट को जिला भू–अर्जन कार्यालय, पटना को दस प्रतियों में भेजने के लिये।
3. समाहर्त्ता / जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।